

निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादडी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादडी
प्रकरण सं. 77/2017 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट.

नारायण पिता मन्ना मीणा नि. लक्ष्मीपुरा तह. बड़ीसादडी

-वादी

बनाम

- 1- श्रीमती तुलसीबाई पत्नि रामा मीणा नि. लक्ष्मीपुरा तह. बड़ीसादडी
- 2- रूपलाल पिता घासी मीणा नि. लक्ष्मीपुरा तह. बड़ीसादडी
- 3- मोहनलाल पिता घासी मीणा नि. लक्ष्मीपुरा तह. बड़ीसादडी
- 4- हेमराज पिता घासी मीणा नि. लक्ष्मीपुरा तह. बड़ीसादडी
- 5- श्रीमती मांगीबाई पिता घासी मीणा नि. लक्ष्मीपुरा तह. बड़ीसादडी
- 6- श्रीमती मधुबाई पिता घासी मीणा नि. लक्ष्मीपुरा तह. बड़ीसादडी
- 7- श्रीमती गंगा बाई पत्नि स्व. घासी मीणा नि. लक्ष्मीपुरा तह. बड़ीसादडी
- 8- तहसीलदार बड़ीसादडी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादडी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा पुलामगरा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

- 1- नारायण पिता मन्ना मीणा नि. लक्ष्मीपुरा

आ.न.	रकबा	लगान
52/1	0.33	5.94
55/1	0.12	0.36
62/2	0.05	1.65
274/2	0.09	1.62
275/2	0.03	0.03
245/1	0.16	3.04
6	0.78	12.64

- 2- रूपलाल मोहनलाल हेमराज मांगी बाई मधु बाई पिता घासी श्रीमती गंगा बाई पत्नि घासी श्रीमती तुलसीबाई पत्नि मीणा नि. लक्ष्मीपुरा

आ.न.	रकबा	लगान
52 मी.	0.65	11.70
55 मी.	0.24	0.72
62/1	0.05	1.65
62 मी.	0.06	1.98
274/1	0.09	1.62
274 मी.	0.09	1.62
275/1	0.04	0.04
275 मी.	0.04	0.04
245 मी.	0.15	2.85
9	1.41	22.22

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।



(Signature)
जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादडी